संख्या–661/XXVIII–1–2008–30/2008

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक: २१ अक्टूबर, 2008

विषय : वित्तीय वर्ष 2008–09 में 12वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुरक्षण मद में धनराशि आवंटित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–233/लेखा–143/2008–09 दिनांक 14.05.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय 12वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुरक्षण मद में संलग्नकानुसार इंगित योजनाओं हेतु आगणित धनराशि रू0 4,76,300.00 के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 4.49 (रू0 चार लाख उनचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय करने की वित्तीय वर्ष 2008–09 निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा एवं स्वीकृत नार्म्स से अधिक किसी भी दशा में न होगा।
2. उक्त धनराशि आहरित कर संलग्नक'के कॉलम संख्या–6 में इंगित निमार्ण इकाईयों को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष 2008–09 के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण इकाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर ;नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय तथा निर्माण कार्य करने से पूर्व पुनः लो0नि0वि0 की दरों पर दर –विश्लेषण कर अपने अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करा ली जाय।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत नार्म्स हैं, स्वीकृत नार्म्स से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमों का पालन कडाई से किया जाय।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गयी हैं, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
9. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व निर्माण सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाए।

GO

10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV9219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

11. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान,–101–आयुर्वेद,01–केन्द्रीय आयोजनेत्तर/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं– 0105–12 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान–29 अनुरक्षण की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 302 (NP) वित्त (व्यय नियंत्रण) 2008 दिनांक 15.10.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव।

संख्या–661(1)/XXVIII–1–2008–30/2008 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2–जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल ।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल ।
4–जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल ।
5–अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें, टिहरी गढ़वाल ।
6–वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
7–वित्त आयोग निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव

संख्या–661(1)/XXVIII–1–2008–30/2008, दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 का संलग्नक

क0स0	जनपद का नाम	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का नाम	आगणन की धनराशि धनराशि रू0 लाख में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित	निमार्ण ईकाई का नाम
1	2	3	4	5	6
1	टिहरी गढ़वाल	म्याणीलालूर	4.72	4.45	अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड, टिहरी गढ़वाल ।
2	हरिद्वार	पाव	0.043	0.04	अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड, टिहरी गढ़वाल ।
			4.763	4.49	

(रूपये चार लाख उनचास हजार मात्र)

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव